परियोजना का नामः— **जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2011—12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 1499/ जिला योजना/ 2011—12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांवं तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों (यथा सर्वेक्षण, वन भूमि हस्तान्तरण, आदि) के लिए रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

सर्वेक्षण उपरान्त विकास खंड, बागेश्वर के अन्तर्गत कठपूड़ियाछीना—सेराघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में बोहाला नामक स्थान से नन्दीगांव तक प्रस्तावित मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 5 कि.मी. आती है। ग्राम नन्दीगांव (442), मुख्य मोटर मार्ग से उपर बसा है और अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फलों एवं शाक शब्जी का उत्पादन बहुतायत में होता है परन्तु परिवहन सुविधा न होने से कास्तकारों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। दूरस्थ क्षेत्र होने एवं यातायात की सुविधा न होने से अधिकारी/ कर्मचारी तैनाती पर नहीं जाना चाहते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यरूप से शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा से क्षेत्रवासियों को बंचित रहना पड़ता है। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से जहां कास्तकारों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा, वही युवावों को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने से शहरों की ओर पलायन रूकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की जलौनी लकड़ी पर निर्भरता रहती हैं। सरकार द्वारा वनों के कटान को रोकने हेतु अधिक से अधिक रसोई गैस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है परन्तु परिवहन व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मोटर मार्ग निर्माण होने से वनों के कटान पर भी रोक लगेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 70 प्रतिशत भू—भाग वनाछादित है एवं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारो की निजी नाप भूमि के अलावा लगभग सभी प्रकार की भूमि को वन अधिनियम के दायरे में लिया गया है। जनहित में बुनियादी ढांचे एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। मार्ग के संरेखण मे कुल 1.442 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही हैं। मोटर मार्ग कें संरेखण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण हैं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर